न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 174 सन 2019

अनवान :–

1. बाबूखां पुत्र यासीनखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अनवार खां 2 भंवरखां 3 सलीम खां पि. यासीन खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर।
4. बानों 5 शिला 6 गुडी बानो पुत्रीयान यासीन खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर तहसील नोहर।
7 राविया पुत्री मदीना पुत्री यासीन जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर तहसील नोहर।
8. भंवरी पत्नी श्योकत अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर
9. फरजाना पुत्री श्योकत अली जाति कायमखानी मुसमान निवासी वार्ड न0 4 नोहर
10 सददाम 11 अलतीफ 12 तैयब पि0 श्योकत अली जाति कायमखानी मुसलमान वार्ड न0 4 नोहर तहसील नोहर
13. राजबाला उर्फ राजबला पत्नि महबूबखां जाति कायमखानी मुसलमान वार्ड न0 4 नोहर तहसील नोहर
14. सलमा 15 जाविद 16 सानिवा बानो 17 इमरान खां पुत्र/पुत्रीयान महबु खां जाति कायमखानी मुसलमान वार्ड न0 4 नोहर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोगी आसन न0 3 के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 53 की 3.0850हैक जिसके यासीन खां खातेदार काश्तकार थे इसी प्रकार रोही मोजा चक राजासर के खाता संख्या 162/160 के खसरा न0 6 की 11.5710 हैक , खसरा न0 7 की 3.5410हैक कुल 15.1120हैक भूमि जिसके सयुक्त तौर से 397 हिस्सा के यासीन खातेदार काश्तकार थे।वादी के यासीन खां फोत हो चुके है एवं पत्नी जैतुन का भी देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके श्योकत अली व महबुब खां फोत हो चुके है जिसके विधिक उतराधिकारीयों के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है।प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी व पतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 के पक्ष में अपना हक हिस्सा का त्याग कर दिया हेएवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 व 13 बहिब 367 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 30 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के

वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के दादा यासीन खां फोत हो चुके है एवं पत्नी जैतुन का भी देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके श्योकत अली व महबुब खां फोत हो चुके है जिसके विधिक उतराधिकारीयों के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है।वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी व पतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 के पक्ष में अपना हक हिस्सा का त्याग कर दिया हे एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 14 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा यासीन खां फोत हो चुके है एवं पत्नी जैतुन का भी देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके श्योकत अली व महबुब खां फोत हो चुके है जिसके विधिक उतराधिकारीयों के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी व पतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 के पक्ष में अपना हक हिस्सा का त्याग कर दिया हे एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 14 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,8 ,13 ,14 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगी आसन न0.1 के खाता संख्या 41/39 की कुल 3.0850हैक भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 व 13 बहिब 2.832हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.253हैक खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 162/160 की कुल 15.1120हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 397 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 8 व 13 बहिब 367 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 अकेली 30 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)